# न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
## पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 86/2019

| प्रार्थी :– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| गोपाराम पुत्र लुम्बाराम जाति माली निवासी ग्राम जालीवाड़ा खुर्द तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर । | | भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर |

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता :– श्री मन्सूर अली छीपा

अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर

## निर्णय

दिनांक : 30.08.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम मालावास पटवारी क्षेत्र मालावास तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 159 रकबा 4.1340 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड में खाता सं. नया 95 पर इन्द्राज है । प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 159 में एक मात्र मालिक की हैसियत से काबिज काश्त है लेकिन प्रार्थी के खसरा नम्बर 159 के पश्चिमी माठ की तरफ खसरा नम्बर 156 गैर मुमकिन बाला है तथा प्रार्थी अपने खसरानम्बर 159 के चारो और चार दीवारी व तारबंदी करना चाहता है लेकिन बिना सीमांकन व बिना पत्थरगढ़ी कर दी जाती है तथा अज्ञानतावंश खसरा नम्बर 156 गैर मुमकिन बाला में दीवार बना दी जाती है तो भविष्य में प्रार्थी को नुकसान होगा जिसका मुल्याकंन रूपयो में नही किया जा सकता । प्रार्थी द्वारा अपने खेत खसरा नम्बर 159 का सीमांकन करवाया गया था जो दिनांक 05.05.2019 को किया गया जिससे प्रार्थी संतुष्ठ है लेकिन प्रार्थी अपने खेत के चारो ओर पत्थरगढ़ी करना चाहता है इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी व सुविधा के लिए सीमाज्ञान हेतु प्ररतुत है । प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 159 का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी की जाती है जो किसी को भी कोई नुकसान नही है व प्रार्थी नियमानुसार शुल्क अदा करने हेतु तैयार है । अप्रार्थी भूमिधारी स्वयं है इसलिए भूमिधारी को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है । अतः श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थी की ग्राम मालावास पटवार क्षैत्र मालावास में स्थित कृषि भूमि खसरानम्बर 159 रकबा 4.1340 हैक्टयर की पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान कायम करने का अप्रार्थी को आदेश फरमाया जावें । अन्य अनुतोष जो प्रार्थी के पक्ष में हो फरमाया जावें ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल प्राप्त हुआ है । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम मालावास के खसरा नम्बर 159 का सीमाकंन कर पत्थरगढ़ी की जाती है तो हमे कोई आपत्ति नही है ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के आधार यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिये वादग्रस्त आराजी का नाप व सीमाकंन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मालावास के खसरा नम्बर 159 भूमि का टीम गठित कर नाप चौप व सीमाकंन कर रूबरू पक्षकारान के सीमा कायम करते हुए पैमाईश करवाकर पत्थरगढ़ी करावें ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 29.8.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. लक्ष्मीनारायण बुनकर)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ शहर